सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–07 वृहस्पतिवार, दिनांक–22 फरवरी, 2024 ई०।

मानतीय अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:34 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण विद्यालय की कार्यावधि के संबंध में अपनी मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा का सरकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी। शिक्षकों को निर्धारित समय 10:00 बजे पूर्वाह्न के 15 मिनट पहले आना है एवं निर्धारित समय 04:00 बजे अपराह्न के 15 मिनट बाद स्कूल से वापस जाना है। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा जा रहा है कि कुछ जिलों के पदाधिकारी द्वारा इससे अलग हटकर कोई निदेश जारी किया गया है, यदि ऐसा है तो सरकार इसको जरूर देखेगी।

विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा किसी विडियो क्लिप को सदन में दिखाने की मांग पर माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि ये मामला उच्च सदन में भी कल उठा था, जिसपर माननीय सभापति महोदय को सरकार की तरफ से उस विडियो क्लिप की समीक्षा करने हेतु अधिकृत किया गया है। समीक्षोपरान्त जो अनुशंसा की जायेगी सरकार उसपर कार्रवाई करेगी।

आसन द्वारा कहा गया कि माननीय मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो सदन में घोषणा की गई है, उसका पालन होगा। साथ ही आसन द्वारा यह भी कहा गया कि उच्च सदन में इस मामले के फलाफल को देख लेना ही श्रेयस्कर होगा। परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।

[1] **प्रश्नकाल** :–

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iii) तारांकित प्रश्न संख्या–610 स्थगित।
(iv) तारांकित प्रश्न संख्या–629 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में स्थानान्तरित।
(v) तारांकित प्रश्न संख्या–633 जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।
(vi) तारांकित प्रश्न संख्या–634 नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित।
(vii) 22 तारांकित प्रश्न अपृष्ट।
(viii) 105 तारांकित प्रश्न अनागत।

[2] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

मानननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

1. श्री मो० अनजार नईमी
2. श्री अखतरूल ईमान
3. श्री महा नंद सिंह
4. श्री गोपाल रविदास
5. श्री अजीत कुमार सिंह
6. श्रीमती ज्योति देवी
7. श्री राम चन्द्र प्रसाद
8. डॉ० निक्की हेम्ब्रम
9. श्री बिजय सिंह
10. श्री इजहारूल हुसैन
11. श्री महबूब आलम
12. श्रीमती गायत्री देवी
13. श्रीमती कविता देवी
14. श्री कुंदन कुमार
15. श्री अनिल कुमार
16. सुश्री श्रेयसी सिंह
17. श्रीमती विभा देवी
18. श्री राम रतन सिंह
19. श्री जय प्रकाश यादव
20. श्री ललन कुमार
21. श्री संदीप सौरभ
22. श्री रामबली सिंह यादव
23. श्री अचमित ऋषिदेव
24. श्री अरूण शंकर प्रसाद
25. श्री विनय बिहारी
26. श्री सुर्यकान्त पासवान
27. श्री सुनील मणि तिवारी
28. श्री मुरारी मोहन झा
29. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
30. श्री प्रणव कुमार
31. श्री रणविजय साहू
32. श्री विजय कुमार खेमका
33. डॉ० रामप्रीत पासवान
34. श्री राम सिंह
35. श्री जिवेश कुमार
36. श्री बीरेन्द्र कुमार
37. श्री कुमार शैलेन्द्र
38. श्री सुदामा प्रसाद
39. श्रीमती रश्मि वर्मा
40. श्री पवन कुमार यादव
41. श्री अरूण सिंह

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

i. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों से प्राप्त सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री प्रेम कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

ii. माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों से प्राप्त ऊर्जा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री प्रेम कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

i. माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री प्रेम कमार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक प्रतिवेदनो की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

ii. माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का वित्त विभाग से संबंधित षष्ठम प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

iii. माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री दामोदर रावत द्वारा राजकीय आश्वासन समिति का शिक्षा विभाग से संबंधित 336वाँ, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 337वाँ एवं 338वाँ, ऊर्जा विभाग से संबंधित 339वाँ एवं 341वाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 340वाँ तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित 346वाँ प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

[6] सदस्य के निरर्हता की सूचना :–

तदुपरान्त आसन की अनुमति से सभा सचिव द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP/MLA, Bhojpur, Ara द्वारा Session Trial No. 123/2019 (Azimabad P.S. Case No. 51/2015) में पारित न्याय निर्णय के आलोक में सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–195 अगिआँव (अ०जा०) के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के तहत

श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० दोषसिद्धि की तिथि अर्थात दिनांक 13.02.2024 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गये हैं।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:01 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[7] वित्तीय कार्य :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड–03 (पथ निर्माण विभाग; कृषि विभाग; गन्ना उद्योग विभाग; पशु एवं मत्स्य संसाधन विभग; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग; श्रम संसाधन विभाग; लघु जल संसाधन विभाग; लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग; खान एवं भूतत्व विभाग; पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा पर्यटन विभाग)] पर वाद–विवाद एवं मतदान।

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से पथ निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अनुदान की मांग एवं कटौती के प्रस्ताव पर वाद–विवाद निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:–

(i) श्री केदार प्रसाद गुप्ता
(ii) श्री फते बहादुर सिंह
(iii) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(iv) श्री मो० अनजार नईमी
(v) श्री संजय कुमार सिंह
(vi) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता

[इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्री भूदेव चौधरी ने आसन ग्रहण किया]

(vii) श्री मिथिलेश कुमार
(viii) श्री चन्द्रहास चौपाल
(ix) श्री रामविलास कामत
(x) श्री इजहारूल हुसैन
(xi) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
(xii) श्री सुर्यकान्त पासवान
(xiii) श्री अखतरूल ईमान
(xiv) श्री अनिल कुमार

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

तदुपरान्त माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा सरकार की ओर से वाद–विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त पथ निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 38 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–23 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–22.02.2024

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।